न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 17/2024

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. श्री रोहित जैन पुत्र मदनलाल जैन जाति जैन निवासी जैन मोहल्ला रामसर जिला बाड़मेर (मैसर्स मदनलाल ताराचंद, स्टेशन रोड़ रामसर, जिला बाडमेर का विक्रेता)
2. श्री मदन लाल पुत्र श्री ताराचंद जैन जाति जैन निवासी जैन मोहल्ला रामसर जिला बाड़मेर (मैसर्स मदनलाल ताराचंद, स्टेशन रोड़ रामसर, जिला बाडमेर का मालिक)
3. श्रीमती मंजू लता पत्नी श्री अशोक कुमार निवासी वार्ड संख्या 07, जूना केराडू मार्ग, बाडमेर (मैसर्स महालक्ष्मी मार्केटिंग, कृषि उपज मण्डी, बाडमेर की मालिक)
4. श्री गौरव पुत्र श्री मांगीलाल निवासी वार्ड नंबर 20, कल्याणपुरा मार्ग नंबर 05 बाडमेर (मैसर्स माजीसा सेल्स एजेन्सी, कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का मालिक)
5. श्री पटेल प्रकाश कुमार केशवलाल पुत्र श्री पटेल केशवलाल निवासी सन नगर सोसायटी, बिंदू सरोवर पेस सिद्धपूर, गुजरात

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के अधिवक्ता श्री दिक्षीत जैन उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 02.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स मदनलाल ताराचंद, स्टेशन रोड़ रामसर, जिला बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **27.05.2023** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड गौधारा (एक रैंक में)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **घी ब्राण्ड गौधारा (एक रैंक में)** में से 800 एमएल वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2102** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड गौधारा** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड गौधारा** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना–पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **22.11.2023** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के अधिवक्ता उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया गया कि उक्त घी को पूर्व में नियमानुसार जांच करने के पश्चात् ही बनाया गया एवं उक्त घी का बेचान किया जाता रहा है। कम्पनी द्वारा कई शहरों में उक्त घी की सप्लाई की जाती है तथा कम्पनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आशय से यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अतः उक्त कार्यवाही निरस्त कर विप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के लिए गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **22.11.2023** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

की जांच रिपोर्ट अनुसार **Test for the presence of Vegetable oils** का मानक स्तर Shall be Absent के मुकाबले **Present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया गया कि उक्त घी को पूर्व में नियमानुसार जांच करने के पश्चात् ही बनाया गया एवं उक्त घी का बेचान किया जाता रहा है। कम्पनी द्वारा कई शहरों में उक्त घी की सप्लाई की जाती है तथा कम्पनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आशय से यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अतः उक्त कार्यवाही निरस्त कर विप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में खाद्य पदार्थ नमूने के अवमानक पाये जाने के प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 02 पर संयुक्त रूप से **रूपये** 20,000/– एवं अप्रार्थीगण संख्या 03 से 04 पर संयुक्त रूप से **रूपये** 20,000/– एवं अप्रार्थी संख्या 05 **रूपये** 40,000/– जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 02.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्या. निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:06 IST
Reason: SelfAttested